

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट-III

जयपुर दिनांक 28 JUL 2015

आदेश

विषय :- संशोधित जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम तैयार किये जाने बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में प्रचलित भवन विनियम नये बनाने का प्रस्ताव किया है, अतः जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम नये सिरे से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान - संयोजक
2. श्री नीरज गुप्ता, प्रोफेसर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़, जिला अजमेर - सदस्य
3. निदेशक नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर - सदस्य
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर - सदस्य
5. श्री आर. के. पारीक, ओ.एस.डी., नविवि - सदस्य
6. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), नगर नियोजन विभाग - सदस्य सचिव

समिति का कार्याधिकार निम्नानुसार होगा :-

1. उक्त भवन विनियम Online Approval प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुये तैयार किये जावें।
2. अन्य शहरों जहां Online Approval प्रक्रिया के तहत भवन मानचित्र अनुमोदिन किये जा रहे हैं का विस्तृत अध्ययन किया जावें।
3. उक्त समिति प्रचलित भवन विनियमों की समीक्षा कर माननीय लोकायुक्त द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर विचार कर दो माह की अवधि में नये भवन विनियम तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी।


राज्यमाल की आज्ञा से,


(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. श्री नीरज गुप्ता, प्रोफेसर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. संबंधित अधिकारी।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय